भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

# प्रतिरोध का स्वर

अप्रैल 2026
*वर्ष 40 संख्या 4*
मूल्य 5 रुपये

## ऐतिहासिक मूर्खता : ट्रम्प के औपनिवेशिक उद्देश्य और ईरान का प्रतिरोध

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए। इस युद्ध का न केवल मध्य पूर्व पर जबरदस्त असर पड़ेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। यह युद्ध आज की दुनिया के प्रधान अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति है – यानी साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित देशों और जनता के बीच के अंतर्विरोध की।

युद्ध को एक महीने से ज्यादा हो गया है। अमेरिका और इजराइल ने सभी मानवीय सरोकारों को नजरअंदाज करने में नए रिकॉर्ड बनाए हैं और नैतिक पतन के नए निचले स्तरों तक गिर गए हैं। अमेरिका ने लड़कियों के एक स्कूल पर बमबारी की, जिसमें 168 से ज्यादा छात्राएँ और 14 शिक्षक मारे गए। यह हर देखने वाले के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन साम्राज्यवादी हमलावर के लिए नहीं। जब सवालों का सामना करना पड़ा, तो एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद, ट्रंप ने बेशर्मी से यह दावा करने की कोशिश की कि स्कूल पर बमबारी ईरानियों ने खुद की थी, जबकि इस बात के सबूत थे कि अमेरिकी मिसाइल ने ही स्कूल की इमारत को निशाना बनाया था। और यह अकेला ऐसा हमला नहीं था। नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और नागरिकों को मारा गया। उन्होंने ईरान में सांस्कृतिक विरासत स्थलों को भी नहीं बख्शा, जो दो दशक से भी पहले इराक में हुए इसी तरह के विनाश की याद दिलाता है। अमेरिका–इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता, सैयद अली खामेनेई, और ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव, अली लरजानी को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। असल में, अमेरिकी साम्राज्यवादी तीसरी दुनिया के देशों के नेताओं का सम्मान नहीं करते। यह एक औपनिवेशिक पूर्वाग्रह है जिसे नस्लवादी रूप में परोसा जाता है। असल में, यह औपनिवेशिक मानसिकता है कि ये सभी देश महज 'शासन' हैं, जो साम्राज्यवादी 'मुक्तिदाताओं' द्वारा उखाड़ फेंके जाने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपना 'श्वेत व्यक्ति का बोझ' उतार सकें। अमेरिका और इजराइल ने आसमान से मौत बरसाई है, जिसमें 2000 से ज्यादा ईरानी मारे गए हैं। इजराइल ने तेल भंडारण स्थलों पर भी हमला किया, जिससे आसमान काला हो गया और तेजाबी बारिश हुई। यह असल में रसायनिक युद्ध है। अमेरिका ने ईरान के गैस क्षेत्र को भी निशाना बनाया, जबकि इजराइल ने बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया, जिसे रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है।

पश्चिमी औपनिवेशिक ताकतों और उनकी जायोनी परियोजना के प्रति अपने प्रतिरोध की भावना पर खरे उतरते हुए, ईरानी बिना झुके खड़े रहे हैं। उन्होंने इजराइल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। अली खामेनेई ने युद्ध से पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा और यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। अमेरिकी सैनिक ताबूतों में अमेरिका लौटने लगे हैं। अमेरिका अपने ठिकानों की रक्षा करने में असमर्थ है। उसके युद्धक विमानों को मार गिराया जा रहा है। उसके प्रसिद्ध विमानवाहक पोत युद्धक्षेत्र से जल्दबाजी में पीछे हट रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में पीछे हट गया है, जबकि यूएसएस जेराल्ड एस. फोर्ड 'अज्ञात' क्षति के कारण एक साल के लिए छुट्टी पर चला गया है। इजराइली शहरों, विशेषकर सैन्य प्रतिष्ठानों पर बार–बार हमले हुए हैं, जिससे भारी तबाही मची है। ईरान ने इजराइल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दिमोना क्षेत्र पर हमला किया है। जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध में कई बार भेदी गई प्रसिद्ध मिसाइल ढाल अब धाराशाई हो चुकी है। इजराइल में अक्सर सायरन सुनाई देते हैं, जिससे लोग आश्रयों में भागने को मजबूर हो जाते हैं। हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

जिन अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, वे अमेरिकी साम्राज्यवाद के आश्रित हैं। वे ईरान द्वारा अपने यहां आक्रमणकारी साम्राज्यवादी शक्ति के ठिकानों पर हमले का विरोध करते हैं, लेकिन अमेरिका–इजराइल के अमानवीय, बिना उकसावे के और अवैध आक्रमण पर चुप रहते हैं। उन्होंने अभी तक अमेरिका

*(शेष पृष्ठ 5 पर)*

## अमेरिका में विशाल प्रदर्शन

28 मार्च को अमेरिका में 'नो किंग्स' विरोध प्रदर्शनों की तीसरी लहर चली। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका भर में लगभग 3200 स्थानों पर आयोजित इन प्रदर्शनों में 80 लाख से 90 लाख लोगों ने भाग लिया। अमेरिकी इतिहास में किसी एक दिन के विरोध प्रदर्शन में यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी रही है। यह विरोध प्रदर्शनों की तीसरी लहर थी, इससे पहले जून 2025 में लगभग 50 लाख प्रतिभागियों के साथ और अक्टूबर 2025 में लगभग 70 लाख प्रतिभागियों के साथ प्रदर्शन हुए थे।

हालांकि ये प्रदर्शन ट्रंप की तानाशाही, राज्यों के अधिकारों पर उनके अतिक्रमण और उनकी आप्रवासी विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शनों को कुचलने के लिए राज्यों की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय गार्डों की तैनाती के खिलाफ लक्षित थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा, कई अन्य जन संगठनों और नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने भी इन प्रदर्शनों में भाग लिया।

इस बार प्रदर्शनों में ईरान पर अमेरिका–इजरायल के हमले के खिलाफ भी आवाज उठाई गई। प्रदर्शनों में हमले की निंदा करने वाले कई पोस्टर और बैनर थे और ईरान पर युद्ध के खिलाफ नारे लगाए गए। इससे ईरान के खिलाफ युद्ध और गाजा में इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के निरंतर नरसंहार के प्रति अमेरिका में बढ़ता विरोध स्पष्ट होता है।

यूरोप के कई शहरों में भी 'नो किंग्स' विरोध प्रदर्शन हुए। लंदन में ईरान पर अमेरिका–इजरायल के हमले के खिलाफ एक अलग जन प्रदर्शन भी आयोजित किया गया।

ईरान पर अमेरिका तथा इजराईल द्वारा हमले के खिलाफ 29 मार्च को हैदराबाद में एक विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का आवाहन क्रांतिकारी संगठनों सहित वाम पार्टियों तथा अनेक जन संगठनों द्वारा किया गया था। प्रदर्शनकारियों को विभिन्न संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। सी.पी.आई.(एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी की ओर से का. जे.वी. चलपति राव ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।

28 मार्च : अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में हुए प्रदर्शन का एक दृश्य

# कोयला क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की समस्या

रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला उत्खनन उन्नीसवीं सदी में शुरू हुआ। फिर भी 1947 तक कोयला खदान मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर कोई सरकारी निर्देश नहीं थे। निजी कंपनियाँ जितना देना चाहतीं, उतना ही भुगतान करती थीं। कोलियरी के अधिकांश मजदूरों के साथ लगभग गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। उच्च जातियों के बिचौलिये और ठेकेदार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वर्तमान झारखंड और ओडिशा से दलितों, आदिवासियों या गरीब शूद्र समुदायों को उनके लालच और भय का फायदा उठाकर लाते थे और उन्हें कोयला खदानों में काम करने के लिए मजबूर करते थे। स्थानीय दलित और आदिवासी सामान्यतः कोयला खदानों में काम नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि एक बार वे भूमिगत खदानों में उतर गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। केवल कुछ ही स्थानीय लोग भूमिगत मजदूर के रूप में काम करते थे। ये उच्च जाति के ठेकेदार बंधुआ मजदूरों को फँसाकर रखते थे ताकि वे भाग न सकें। यह स्थिति गिरमिटिया मजदूरों जैसी थी। मजदूरों को छोटे, अस्वस्थ कमरों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इन क्षेत्रों को धौरा कहा जाता था। ये सभी ठेकेदार साहूकार और सूदखोर थे। मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। इसलिए उन्हें ब्याज पर पैसा उधार लेना पड़ता था। जिस ठेकेदार के पास अधिक मजदूरों के वेतन निकासी कार्ड होते थे, उसकी प्रतिष्ठा अधिक होती थी। इन ठेकेदारों का गिरोह खदान की सुरक्षा का काम करता था। यदि कोई विद्रोह करता या मालिकों के खिलाफ आवाज उठाता, तो ये समूह लाठी और गोली से उसे दबा देते थे। 1947 से पहले कुछ कंपनियाँ ऐसी भी थीं जो वैज्ञानिक तरीकों से सही ढंग से कोयला निकालती थीं। तुलनात्मक रूप से वे अपने मजदूरों को थोड़ा अधिक भुगतान करती थीं। उदाहरण के लिए, बंगाल कोल कंपनी या मार्टिन बर्न कंपनी आदि।

1947 के बाद सत्ता हस्तांतरण के दौरान 1948 में न्यूनतम मजदूरी विनियमन बनाया गया। लेकिन इससे कोयला मजदूरों की समस्याएँ हल नहीं हुईं।

कोयला क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए 1957 में एक अलग वेतन बोर्ड बनाया गया और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। हालांकि अन्य खनन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी पहले ही तय की जा चुकी थी, लेकिन कोयला क्षेत्रों के काम की प्रकृति में कई अंतर थे। उस समय लगभग सभी कोयला खदानें भूमिगत थीं। भूमिगत कोयला खदानों में काम करने के लिए हर मजदूर को पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता था। भूमिगत काम में जोखिम और कठिनाइयाँ थीं। उसी के अनुसार उनकी मजदूरी निर्धारित की जाती थी। भूमिगत कोयला खदानों में श्रम के कई प्रकार के विभाजन होते हैं। हर प्रकार के काम से जुड़ी अपनी अलग मजदूरी की समस्या थी। इसलिए एक अलग वेतन बोर्ड बनाया गया।

1957 में यह तय किया गया कि वेतन बोर्ड हर दस वर्ष में मजदूरी निर्धारित करने के लिए बैठक करेगा। उसी अनुसार 1967 में कोयला क्षेत्र का वेतन बोर्ड फिर बैठा और मजदूरी संशोधित की। उसके बाद 1977 में वेतन बोर्ड की फिर बैठक होनी थी। लेकिन उससे पहले ही दो सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर पूरे कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 1975 में नेशनल कोल वेतन समझौता–1 पर हस्ताक्षर किए गए।

कोल नेशनलाइजेशन एक्ट लागू होने के तुरंत बाद एक संशोधन लाया गया जिसमें इस्पात उद्योगों को कैप्टिव माइंस के रूप में कोयला खदान चलाने की अनुमति दी गई। 1913 में जमशेदजी टाटा ने इस्पात उद्योग शुरू किया था। इस इस्पात उद्योग के लिए उन्होंने झरिया कोयला क्षेत्र में अपनी खदानें चलाकर कोयले की जरूरत पूरी की थी। इसी कारण यह संशोधन लाया गया। हालांकि टाटा के प्रतिनिधि हर राष्ट्रीय कोयला समझौते में शामिल होते थे और उस पर हस्ताक्षर करते थे। टाटा की खदानों के मजदूरों को समझौते के अनुसार समान दर पर मजदूरी मिलती थी, इसकी समस्या नहीं थी। समस्या 1993 के संशोधन के बाद शुरू हुई। इस संशोधन में कहा गया कि बिजली उत्पादन क्षेत्र और सीमेंट उत्पादन क्षेत्र अपनी जरूरत के लिए कैप्टिव कोयला खदान चला सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की पीडीसीएएल ने आवेदन करके कुछ कोयला खदानें शुरू कीं। इसके तुरंत बाद कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन (सीईएससी) ने भी कोयला खदानें चलाना शुरू किया। थोड़े ही समय में राष्ट्रीय कोयला समझौते का समय आ गया। इनके प्रतिनिधि बैठकों में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और उसके नियमों का पालन भी नहीं किया। फिर इन कंपनियों ने घोषणा की कि हम इस समझौते के पक्षकार नहीं हैं, इसलिए हम इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे। कोयला मंत्रालय या केंद्रीय श्रम विभाग ने भी उन्हें समझौते का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया। परिणामस्वरूप, उसके बाद से टाटा सहित सभी निजी कंपनियों ने इस राष्ट्रीय कोयला समझौते में भाग लेना बंद कर दिया। टाटा अभी भी समझौते अनुसार भुगतान करता है, लेकिन बाकी कंपनियाँ दस से पंद्रह हजार में काम करवा रही हैं। इस पर कोई शोर–शराबा नहीं करता।

1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा (कैप्टेन) के बाद कोल इंडिया ने धीरे–धीरे भूमिगत कोयला खदानों को बंद करने और बड़े ओपन–कास्ट खदान शुरू करने का निर्णय लिया क्योंकि भूमिगत खदानों में प्रति टन उत्पादन लागत ओपन–कास्ट खदानों की तुलना में अधिक होती है। इसके अलावा भूमिगत खदानों में दैनिक उत्पादन भी ओपन–कास्ट खदानों से कम होता है और ओपन–कास्ट खदानों में कोयला उत्खनन निजी ठेकेदारों द्वारा ठेके पर किया जाता है। खदान की योजना कोल इंडिया की होती है और कई मामलों में विस्फोटन का काम भी कोल इंडिया करता है। बाकी जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होती है। परिणामस्वरूप स्थायी मजदूरों का प्रश्न भी समाप्त हो गया। सभी ठेका मजदूर हैं। निजी कंपनियाँ अपनी जिम्मेदारी पर भर्ती करेंगी। भूमिगत खदानों के लगातार बंद होने से ईसीएल में स्थायी मजदूरों की संख्या घटकर पचास हजार रह गई है। ईसीएल में ठेका मजदूरों की संख्या लगभग बीस हजार है। इसके अलावा सात–आठ कैप्टिव खदानों को मिलाकर दस हजार ठेका मजदूर और हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग तीस हजार ठेका मजदूर ईसीएल कोयला क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनके लिए कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है।

काफी खींचतान के बाद कोल इंडिया ने एक उच्चस्तरीय समिति बनाई और ठेका मजदूरों के लिए अंतरिम मजदूरी की घोषणा की। यह 2008 में हुआ। लेकिन कोई उच्चस्तरीय समिति इतने लंबे समय तक ऐसी अंतरिम मजदूरी घोषित नहीं कर सकती। इसलिए हर साल वह समिति उसी परिपत्र को फिर से जारी करती है। यह तरीका हास्यास्पद और अवैध है। इस पर कोई यूनियन विरोध या आंदोलन नहीं करती। चूंकि कोयला न्यूनतम मजदूरी अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए अंतरिम मजदूरी घोषित करने का अधिकार केंद्रीय श्रम आयुक्त के पास है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। क्योंकि यदि मामला केंद्रीय आयुक्त के पास जाएगा, तो श्रम विभाग को न्यूनतम मजदूरी घोषित करनी पड़ेगी। इसलिए यह एक चाल है और पाँच हस्ताक्षरकर्ता ट्रेड यूनियन चुप बैठी हैं। वैसे उच्चस्तरीय समिति द्वारा घोषित मजदूरी के अनुसार औसत दैनिक मजदूरी 1200 रुपये होती है। मजदूरों को दो सौ पचास से चार सौ रुपये मिलते हैं, बाकी लूट लिया जाता है। हर मजदूर के खून–पसीने की कमाई में से रोज आठ सौ रुपये लूटे जाते हैं। इस तरह तीस हजार मजदूरों से रोज दो करोड़ रुपये, महीने में साठ करोड़ रुपये और साल में सात सौ बीस करोड़ रुपये सत्तारूढ़ दल, ठेकेदारों और ईसीएल अधिकारियों द्वारा लूटे जाते हैं।

लेकिन न्यूनतम मजदूरी की मांग कैसे उठेगी? क्या कोयला क्षेत्रों में कभी न्यूनतम मजदूरी नहीं थी? बिल्कुल थी। कोयला क्षेत्र निजी स्वामित्व में थे। 1957 और 1967 में कोयला क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी घोषित की गई थी। वह कहाँ गई? जब 1975 में नेशनल कोल वेतन समझौता–1 पर हस्ताक्षर हुए, तब पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को उसमें कैसे विभाजित किया गया? यदि पहले समझौते को ठीक से देखा जाए तो पता चलता है कि कोयला क्षेत्रों की न्यूनतम मजदूरी को तीन भागों में बाँटा गया था। पहला : मूल वेतन; दूसरा : उपस्थिति बोनस; तीसरा : स्थिर डीए (मंहगाई भत्ता)। ये तीनों मिलकर न्यूनतम मजदूरी बनाते थे। क्या पाँचों हस्ताक्षरकर्ता ट्रेड यूनियन यह नहीं जानते? क्या श्रम आयुक्त नहीं जानते? सब कुछ सब जानते हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब नेशनल कोल वेतन समझौता–11 लागू है। इस समझौते में मूल वेतन, उपस्थिति बोनस और स्थिर डीए में जो भी वृद्धि हुई है – उसे जोड़ दिया जाए तो वही आज के ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बनती है। इसमें केवल परिवर्ती डीए जोड़ना बाकी है।

इस मांग से सहमत सभी ट्रेड यूनियनों और जन संगठनों को एकजुट होकर एक अजेय आंदोलन खड़ा करना होगा।

## पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

# रंपाछोड़ावरम (आंध्र प्रदेश) में सम्मेलन व सभा

रंपाछोड़ावरम में नेशनल पार्क तथा ईको सेंसटिव क्षेत्र के खिलाफ ए.आई.के.एम.एस. द्वारा एक बड़ी रैली की गई। रैली के बाद एक आदिवासी सम्मेलन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता ए.आई.के.एम.एस. के प्रांतीय उपाध्यक्ष का. बी. बोजी रेड्डी ने की।

सम्मेलन को संबोधित करने वाले नेताओं में ए.आई.के.एम.एस. नेता चिट्टीपाटी वेंकटेश्वरालु, एम. दुर्गा प्रसाद, पी. वेंकट नायडु, इफ्टू नेता जे. वेंकटश्वरालु तथा जे. सत्तीबाबु, पी. सोमन्ना, बी. श्रीदेवी, पापन्ना, भास्कर रेड्डी, पांडव रेड्डी, गणपति रेड्डी, श्रीनिवास राव, प्रसाद रेड्डी, राघवलु, रिदम्मा तथा अखिल भारतीय ट्राइबल फोरम के संयोजक एस. राजमोहन शामिल थे। अन्य कई स्थानीय नेताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

सीपीआई (एम–एल) एनडी की प. बंगाल राज्य कमेटी का बयान

# एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से बंगाल पर कब्जा करने की भाजपा की साजिश को नाकाम करें!

## आगामी चुनाव में भाजपा को हराएं!

पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, फिर भी मतदाता सूची अभी तक अंतिम रूप से तैयार नहीं की गई है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसी चुनाव से ठीक पहले विशेष रूप से कराए जा रहे मतदाता सूची के तथाकथित ''स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन'' (SIR) के नाम पर लाखों नागरिकों के मतदान अधिकारों को पूरी तरह अलोकतांत्रिक और फासीवादी तरीके से छीन लिया गया है। उनके नाम या तो सीधे मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं या फिर ''तार्किक विसंगतियों'' के बहाने ''एडजुडिकेटेड'' (समीक्षा के अधीन) बताकर अधर में लटका दिए गए हैं। इन अधिकांश लोगों के लिए इस चुनाव में वोट डालने की संभावना अब बेहद कम रह गई है। पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करके कराया जाने वाला चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर एक छलावा मात्र है। किसी भी स्थिति में इस चुनाव को जनमत का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं माना जा सकता।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि एसआईआर पहल आरएसएस और भाजपा द्वारा संचालित एक फासीवादी परियोजना है। चुनाव आयोग और राज्य मशीनरी को हथियार बनाकर आबादी के बड़े हिस्सों को सुनियोजित ढंग से मताधिकार से वंचित करना केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें गैर–नागरिक बनाने की एक व्यापक साजिश का हिस्सा है। अल्पसंख्यक समुदायों के लोग इस हमले का असमान रूप से अधिक शिकार बने हैं। हालांकि, यह हमला केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। समाज के अन्य कमजोर वर्ग– जैसे आदिवासी समुदाय, और यहां तक कि कई हिंदू– भी अपने मतदान अधिकारों पर खतरा झेल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से तथाकथित ''निचली जातियों'', अनुसूचित जातियों, मतुआ समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोग शामिल हैं। महिलाओं को भी इस हमले का खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी मजदूर– या अन्य राज्यों में काम करने वाले लोग– भी इस हमले के दायरे में आए हैं। केवल जनता – विशेषकर असहमति रखने वाले लोगों – को दबाने से आगे बढ़कर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया फासीवादी भाजपा द्वारा किसी भी कीमत पर सत्ता पर कब्जा करने की घृणित साजिश का प्रतिनिधित्व करती है। इस संदर्भ में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के एक उपकरण के रूप में शर्मनाक भूमिका निभाई है। हालांकि, जिस संस्था से लोग निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा करते हैं– सुप्रीम कोर्ट– का रवैया भी अत्यंत निराशाजनक रहा है। केंद्र सरकार के प्रभाव से स्वतंत्र होकर आम जनता के पक्ष में खड़े होने के बजाय, न्यायालय ने इसके विपरीत रुख अपनाया है। उसने वैध मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से मनमाने ढंग से बाहर किए जाने में सहायक की भूमिका निभाई है, जो अत्यंत निंदनीय है।

एक सकारात्मक पहलू यह है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने मताधिकार की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य प्रायोजित दमन की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो बेहद निंदनीय हैं।

ऐसी असामान्य स्थिति में– जहां वैध मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर हटाकर या 'लंबित' स्थिति में रखकर लोकतांत्रिक अधिकारों की बुनियाद को ही कमजोर किया जा रहा है– सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी इस चुनावी दौर में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार को प्राथमिक कार्य नहीं मानती, बल्कि जनता के अधिकारों– विशेष रूप से उनके मतदान के अधिकार– की रक्षा के लिए खड़े होने और फासीवादी भाजपा के खिलाफ संघर्ष को अपना मुख्य कार्य मानती है। इसी कारण, सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी ने इस विधानसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार न उतारने का निर्णय लिया है और इसके बजाय जनता के साथ उनके मतदान अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में एकजुटता से खड़े रहने का संकल्प लिया है। साथ ही, पार्टी जनता से आह्वान करती है कि वे इस स्थिति के लिए जिम्मेदार भाजपा को हर मोर्चे पर जवाबदेह ठहराएं और आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी पराजय सुनिश्चित करें।

**(सीपीआई (एम-एल) एनडी के प. बंगाल राज्य कमेटी के सचिव द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी बयान)**

**27 मार्च 2026 को कोलकाता में एस.आई.आर. के खिलाफ सम्मेलन**

सीपीआई (एम–एल) एनडी की असम राज्य कमेटी का बयान

# आगामी असम चुनाव में बीजेपी को हराएं।

## राज्य और कारपोरेट गठजोड़ के खिलाफ संगठित होने के अवसर को पकड़ें।

## जुबिन के जनपक्षीय आदर्शों को कायम रखें।

## मजदूरों, किसानों और नागरिकों के अधिकार स्थापित करें।

सीपीआई (एम–एल) एनडी–पीसीसी असम के लोगों से अपील करती है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएं और इस चुनावी समय को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए मजदूरों, किसानों और नागरिकों के अधिकारों के लिए जन आंदोलन खड़ा करने हेतु संगठित हों। यह समय जुबिन के जन पक्षीय आदर्शों को याद करने का भी है।

बीजेपी सरकार की नागरिकता नीति, मतदाता सूची संशोधन नीति, तथा किसान और मजदूर नीति इस दिशा में केंद्रित हैं कि असम के लोगों को भारत के संदर्भ में राज्य सत्ता और सर्वोच्च नेता के आदेशों के अधीन बना दिया जाए। जब राज्य और सत्तारूढ़ पार्टी नागरिकता मानदंडों और मतदाता सूची संशोधन नियमों में बदलाव करके सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं, तब लोगों का अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार छिन जाता है। असम के मुख्यमंत्री ने कई बार दोहराया है कि चुनाव के बाद एसआईआर लागू किया जाएगा। लोगों को असम में एसआईआर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और नागरिकता अधिनियम में किए गए संशोधनों, जिसमें 2003 का संशोधन भी शामिल है, को रद्द करने की मांग करनी चाहिए।

बीजेपी सरकार के पास असम की कृषि अर्थव्यवस्था में संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस कृषि नीति नहीं है। इसके विपरीत, सरकार ने ऐसा कृषि विधेयक तैयार किया है, जो कॉरपोरेट पूंजी के हित में भूमि और कृषि उत्पादों पर नियंत्रण स्थापित करने का रास्ता बनाता है। बीजेपी सरकार ने लेबर कोड लागू किया है, जो कॉरपोरेट पूंजी को लाभ पहुंचाता है और "हायर एंड फायर" की नीति को बढ़ावा देता है, जिससे मजदूरों के मौजूदा अधिकार और सामाजिक सुरक्षा छीन ली गई है। गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि अमीरों के लिए विलासिता की वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, जिससे आर्थिक असमानता और बढ़ रही है।

प्राकृतिक संसाधनों की लूट और सस्ते श्रम के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर बेदखली की जा रही है, जिससे मेहनतकश लोगों के जीवनयापन और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है– यह बुलडोजर सरकार की जबरन बेदखली की नीति है। तथाकथित "विकास" के नाम पर पर्यावरण का विनाश हुआ है और बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय अधिकारों का हनन, आरक्षण संबंधी मांगों पर राजनीतिक चालबाजी, तथा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का बहिष्कार– ये सब बीजेपी शासित असम सरकार की कार्यप्रणाली में गहराई से शामिल हैं, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट–समर्थक लूट व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और मजदूर अधिकारों का दमन करना है।

जब असम के बाहर से आए युवा प्रवासी मजदूरों के शव जमा हो रहे थे, तब असम सरकार और बीजेपी ने पूरी तरह अनदेखी की, मानो प्रवासी इस राज्य का हिस्सा ही न हों। निर्माण, परिवहन, ऑटोमोबाइल, गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों तथा चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की सभी मांगों को नजरअंदाज किया गया है। विकास के नाम पर चाय बागान की जमीन अमीरों के हित में अधिग्रहित की जा रही है, जिससे चाय मजदूरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। डोलू टी एस्टेट इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। और भी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें पर्यटन विकास के नाम पर होटल, मॉल आदि बनाए जाने की योजना है।

बीजेपी सरकार ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लाभार्थी योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में ये योजनाएं लोगों की वास्तविक समस्याओं की तुलना में बहुत छोटी हैं। लोगों को अधिक आर्थिक लाभ पाने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी इन योजनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रही है।

असम के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर एक नई सरकार चुनेंगे। उन्हें जनविरोधी नीतियों के कारण वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ मतदान करना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने भी दमन और संकट के समय जनता का नेतृत्व करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इसलिए, आगामी चुनाव में बीजेपी को हराते हुए, सीपीआई (एम–एल) एनडी–पीसीसी लोगों से अपील करता है कि वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एकजुट हों।

**(सीपीआई (एम-एल) एनडी-पीसीसी असम राज्य समिति द्वारा 17 मार्च 2026 को जारी)**

# एसआईआर– नागरिक अधिकार विहीन श्रमिकों का कार्य बल

सौमुद्र रॉय

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा 27 अक्टूबर को एसआईआर नोटिस जारी किए जाने के चार महीने बाद, 28 फरवरी 2026 को एक अधूरी मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इससे पहले, 16 दिसंबर 2025 को एक ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख नाम हटाए गए थे। ये वे लोग थे जिनके नाम एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता सूची में थे। उनके नाम पर फॉर्म तो छपे थे, लेकिन उन्हें हस्ताक्षर करके वापस जमा नहीं किया गया। इनमें से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, कुछ लोग पलायन कर गए थे (जिसमें प्रवासी मजदूर और विवाहित महिलाएं भी शामिल हैं) या वे किसी अन्य कारण से फॉर्म जमा नहीं कर सके।

ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद अपील का अवसर दिया गया। जिन लोगों को लगा कि उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, वे सुधार के लिए आवेदन कर सकते थे। इसलिए, 58 लाख मृत, पलायन कर चुके या लापता लोगों का ड्राफ्ट सूची से हटना एक सामान्य प्रक्रियात्मक कदम जैसा प्रतीत हुआ। इसी तरह की छंटनी अन्य राज्यों में भी हुई। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ और गुजरात में 74 लाख नाम हटाए गए। प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश (7.5%) और पश्चिम बंगाल (7.6%) में सबसे कम नाम हटाए गए।

लेकिन स्थिति तब चिंताजनक हो गई जब जीवित, उसी पते पर रहने वाले और सही तरीके से हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करने वाले लोगों को चुनिंदा रूप से सुनवाई के लिए बुलाया गया और उनसे नागरिकता का प्रमाण मांगा गया। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से पश्चिम बंगाल में जारी है।

बिहार में शुरुआत में कहा गया था कि जिन लोगों के नाम 2003 की पिछली एसआईआर सूची में नहीं हैं, उन्हें सीधे नागरिकता का प्रमाण देना होगा। इससे जनता में चिंता के बाद आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जिनमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं) में अपना रुख बदला। ऐसा आभास दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 2002 की सूची में नहीं है, तो उसके माता–पिता या रिश्तेदार का नाम होना पर्याप्त हो सकता है। लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट लिखित निदेश नहीं दिया गया। इस अस्पष्टता ने भ्रम पैदा किया– क्या रिश्तेदार का नाम दिखाने से समस्या हल होगी ? बाद की घटनाओं से संकेत मिला कि ऐसा नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल में लगभग 1.4 करोड़ लोगों को सुनवाई के लिए बुलाए जाने की खबर है। अतिरिक्त 32 लाख लोग, जो 2002 एसआईआर सूची से अपना संबंध स्थापित नहीं कर सके, उन्हें "अनमैप्ड" कहा गया। कुल मिलाकर, ड्राफ्ट सूची में शामिल 7.08 करोड़ नामों में से लगभग 1.7 करोड़ लोग जांच के दायरे में आ गए। और सुनवाई के दौरान कथित विसंगतियों पर चर्चा करने के बजाय लोगों से नागरिकता प्रमाण के रूप में 11 दस्तावेज मांगे गए। प्रक्रिया की अपारदर्शिता के कारण यह स्पष्ट नहीं था कि किसे नोटिस मिलेगा, कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, और किन मानकों का उपयोग किया जा रहा है।

पहले से ही गरीब और अर्ध–शिक्षित ग्रामीण मतदाताओं के पास आवश्यक दस्तावेज होने की संभावना कम थी, और बीच में नियम बदलने की खबरों ने भ्रम और बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में असुरक्षा की भावना बढ़ी। कुछ गांवों में केवल चुनिंदा लोगों को ही नोटिस मिलने की खबरें थीं। कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर संकेत दिया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपनाम (सरनेम) के आधार पर छंटनी की जा रही है। उदाहरण के लिए, कोलकाता की चार विधानसभा सीटों में मुस्लिम मतदाता लगभग 20 प्रतिशत हैं, लेकिन सुनवाई के लिए बुलाए गए लोगों में कथित तौर पर 50 प्रतिशत मुस्लिम थे। बंगा आन–ठाकुर नगर जैसे क्षेत्रों में, मतुआ समुदाय के कई लोगों को बुलाया गया, क्योंकि उनके ऐतिहासिक विस्थापन के कारण पुराने रिकॉर्ड में उनके नाम कम हैं।

## 'तार्किक विसंगतियों" के आधार भी असामान्य थे

–जिन परिवारों में छह से अधिक बच्चे थे, उन्हें चिन्हित किया गया।

–माता–पिता और बच्चों के बीच 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक आयु अंतर को चिन्हित किया गया।

–दादा–दादी और पोते–पोतियों के बीच 40 वर्ष से कम आयु अंतर को चिन्हित किया गया।

फिर भी, सुनवाई के दौरान इन विसंगतियों पर सवाल नहीं पूछे गए, बल्कि नागरिकता प्रमाण मांगा गया। पूरी प्रक्रिया असंगत और अपारदर्शी प्रतीत हुई।

## विभिन्न राज्यों में अंतिम सूची का अंतर–

28 फरवरी को पश्चिम बंगाल की अंतिम सूची में ड्राफ्ट सूची की तुलना में 5.46 लाख नाम हटाए गए, जबकि 1.86 लाख नए नाम जोड़े गए। साथ ही, 60 लाख मतदाताओं को "अंडर–अजुडिकेशन" (विचाराधीन) के रूप में चिह्नित किया गया।

इसके विपरीत, अन्य राज्यों में अंतिम सूची में वृद्धि देखी गई :

–मध्य प्रदेश : + 8 लाख

–छत्तीसगढ : + 3 लाख

–केरल : + 15 लाख

–तमिलनाडु : + 24 लाख

–राजस्थान : + 11 लाख

–असम : + 60,000 (सामान्य शुद्धिकरण के जरिये)

पश्चिम बंगाल में, हालांकि, ड्राफ्ट सूची की तुलना में लगभग 4 लाख की शुद्ध कमी दर्ज हुई, साथ ही 60 लाख मामले लंबित रहे।

## "अंडर–अजुडिकेशन" का मुद्दा–

अब देखते हैं कि यह "अंडर–अजुडिकेशन" क्या है, जो केवल पश्चिम बंगाल में सामने आया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदिग्ध है, क्योंकि वह राज्य में अलग तरह से काम कर रहा है। आयोग ने जवाब दिया कि उसे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है।

14 फरवरी को, सुनवाई की अंतिम तिथि के बाद, यह सामने आया कि 60 लाख लोगों के रिकॉर्ड की जांच के बाद भी निर्णय लंबित है, क्योंकि न तो राज्य सरकार और न ही आयोग किसी पर भरोसा कर पा रहे थे। अदालत ने कहा

### एसआईआर राज्यों के आंकड़े–

| राज्य | एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता | ड्राफ्ट सूची (मृत/लापता/स्थानांतरित हटाकर) | संदिग्धों की संख्या | अंतिम मतदाता सूची | ड्राफ्ट सूची से बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 5.74 करोड़ | 5.31 करोड़ (7.5% कमी) | 19 लाख (ड्राफ्ट सूची का 3.6%) | 5.39 करोड़ | 8 लाख की वृद्धि (1.5%) |
| राजस्थान | 5.46 करोड़ | 5.029 करोड़ (7.9% कमी) | 38.6 लाख (7.67%) | 5.15 करोड़ | 11 लाख की वृद्धि (2.2%) |
| केरल | 2.78 करोड़ | 2.54 करोड़ (8.6% कमी) | 37.3 लाख (14.7%) | 2.69 करोड़ | 15 लाख की वृद्धि (6%) |
| छत्तीसगढ | 2.12 करोड़ | 1.84 करोड़ (13.2% कमी) | 6.4 लाख (3.5%) | 1.87 करोड़ | 3 लाख की वृद्धि (1.6%) |
| प. बंगाल | 7.66 करोड़ | 7.08 करोड़ (7.6% कमी) | 1.62 करोड़ (22.3%) | 7.04 करोड़ 60 लाख लंबित (8.5%) | 4 लाख की कमी (–0.64%) |
| यू.पी. | 15.44 करोड़ | 12.55 करोड़ (18.7% कमी) | 3.26 करोड़ (26%) | ... | .... |
| तमिलनाडु | 6.41 करोड़ | 5.436 करोड़ (15% कमी) | 1.72 करोड़ (31.7%) | 5.67 करोड़ | 24.4 लाख की वृद्धि (4.5%) |
| असम (एसआईआर नहीं, आईआर प्रक्रिया) | 2.49 करोड़ | 2.52 करोड़ (1.2 % वृद्धि) | ... | 2.496 करोड़ | 2.4 लाख की कमी (–1 %) |
| | | • लेकिन आईआर शुरू होने से पहले की तुलना में 60,000 की वृद्धि | | | |
| बिहार | 7.89 करोड़ | 7.24 करोड़ (8.2% कमी) | 3.66 लाख (0.5%) | 7.45 करोड़ | 21 लाख की वृद्धि (2.9%) |
| गुजरात | 5.08 करोड़ | 4.34 करोड़ (14.6% कमी) | 90 लाख (20.7%) | 4.4 करोड़ | 6 लाख की वृद्धि (1.2%) |
| गोवा | 11.85 लाख | 10.84 लाख (8.4% कमी) | 2.45 लाख (22.6%) | 10.6 लाख | 24 हजार की कमी (–2.2%) |

1 अप्रैल 2026 : "पहले वोटर फिर वोट" मांग को लेकर मालदा सुजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करते स्थानीय नागरिक।

# तैयार करना मकसद

कि दस्तावेजों का सत्यापन कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्य के बाहर के न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा। परिणामस्वरूप, इन 60 लाख लोगों के नाम "पेंडिंग" सूची में डाल दिए गए।

थोड़ी जांच से पता चला कि असली मुद्दा इन्हीं 60 लाख लंबित मामलों में छिपा है। इनमें से 58.5 प्रतिशत मामले अल्पसंख्यक बहुल जिलों – मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और कुछ हद तक नदिया जिले के मतुआ बहुल क्षेत्रों में हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ स्थानों पर 200 "अंडर–अजुडिकेशन" मतदाताओं में केवल 5 हिंदू थे।

राजनीतिक रूप से, या तो आयोग को इन 60 लाख मामलों में से अधिकांश को "अवैध" घोषित करना होगा ताकि भाजपा–आरएसएस की "घुसपैठ" की थ्योरी को सही ठहराया जा सके, या फिर ऐसा न करने पर वर्षों पुरानी "घुसपैठ" और "बंगाली मुसलमानों द्वारा राज्य पर कब्जा" की थ्योरी कमजोर पड़ जाएगी। इस प्रकार, अब यह संघर्ष पूरी तरह राजनीतिक रूप ले चुका है।

## वृहत्तर राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव

अंत में, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित करने के पीछे कारण क्या है? क्या यह केवल "हिंदू राष्ट्र" परियोजना का हिस्सा है ? आइए वास्तविक स्थिति पर विचार करें। मान लें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से 50 लाख लोगों ने अपने वोट देने का अधिकार खो दिया, और इनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की है। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि जो अल्पसंख्यक भाजपा को वोट नहीं देते, वे विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मतदान मुख्यतः उन लोगों द्वारा होगा जो तृणमूल के भ्रष्टाचार से नाराज हैं और जिनके लिए भाजपा का समर्थन करना सांस्कृतिक रूप से बाधक नहीं है। इससे भाजपा के चुनाव जीतने की संभावना काफी बढ़ सकती है।

लेकिन इस विचार को थोड़ा और व्यापक रूप में देखें। खासकर जब यह रिपोर्ट सामने आई कि 2 मार्च को केंद्र सरकार ने सीएए आवेदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए दो और समितियां गठित की हैं। माना जा रहा है कि यह मुख्य रूप से मतुआ समुदाय के लिए है, मुसलमान इसमें शामिल नहीं हैं। तो सवाल यह उठता है कि उन बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य क्या होगा, जिन्हें अगला चुनाव होने के बाद भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा ? क्या वे फिर से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे ? संभवतः नहीं, क्योंकि भविष्य में भी उन्हें वही दस्तावेज दिखाने होंगे जो उनके पास अभी नहीं हैं, और बाद में उन्हें प्राप्त करना और भी कठिन हो सकता है। यदि सरकार बदलती है, तो यह लगभग असंभव हो जाएगा।

तो फिर उनका जीवन कैसा होगा? क्या उनके सभी नागरिक अधिकार पहले जैसे बने रहेंगे? भले ही एसआईआर आधिकारिक रूप से नागरिकता निर्धारण कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया में नागरिकता प्रमाण न दे पाने के कारण मतदान अधिकार खो चुके हैं, क्या वे अपने नागरिक अधिकारों का दावा कर पाएंगे ? आशंका है कि इसका उत्तर "नहीं" हो सकता है।

तो अब आगे क्या ? जबकि आंकड़ों में यह दिखता है कि पिछले दो दशकों की तुलना में एसआईआर के बाद देश भर में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, वास्तविकता यह हो सकती है कि एसआईआर लागू होने से पहले की संख्या की तुलना में कमी आई है। संभव है कि लाखों युवा, गरीब, अशिक्षित और असंगठित श्रमिक अपने मतदान अधिकार खो चुके हों।

अब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय राज्य इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों का पालन–पोषण करेगा ? यह संभावना कम है। बल्कि अधिक संभावना यह है कि उनके साथ वही होगा जो आज के वैश्वीकृत संसार में प्रवासी श्रमिकों के साथ होता है– एक परिचित प्रकार का पूंजीवादी शोषण।

दरअसल, नागरिक अधिकारों से वंचित श्रमिकों की एक बड़ी सेना आधुनिक पूंजीवाद के लिए लाभदायक हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक, जो कम मजदूरी पर काम करने को तैयार होते हैं, आज की पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 2022 के हालिया आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में 28 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक अधिकारों के बिना काम करने को मजबूर हैं। वे अन्य देशों में काम करने के कारण कानूनी नागरिक अधिकारों से वंचित होते हैं, और सांस्कृतिक भिन्नताएं भी उनके खिलाफ काम करती हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि इन 28 करोड़ प्रवासी श्रमिकों में भारत से लगभग 2 करोड़ लोग हैं, जिनमें बड़ी संख्या अनियमित (undocumented) या अवैध श्रमिकों की है। यह सवाल उठता है कि जिन भारतीय श्रमिकों को "अवैध" बताकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, वे वास्तव में कहां भेजे जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित भारतीयों की संख्या 2021 में 10,800 से बढ़कर 2025 में 28,000 हो गई है (कुछ मामलों में 888 से बढ़कर 3,812 तक)। दिलचस्प बात यह है कि निर्वासन को लेकर शोर–शराबे के बावजूद, अमेरिका के कृषि विभाग की 12 सितंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे अनियमित श्रमिकों का कृषि उत्पादन में योगदान 1989–91 के 14 प्रतिशत से बढ़कर आज 42 प्रतिशत हो गया है।

अर्थात, नागरिक और श्रम अधिकारों से वंचित श्रमिक आज उत्पादन का सबसे "वांछनीय" घटक बन गए हैं। दूसरे शब्दों में, बुनियादी नागरिक अधिकारों से रहित श्रमिक आज वैश्विक पूंजीवाद के लिए एक अत्यंत लाभदायक संसाधन हैं।

इस संदर्भ में, एक ओर नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के बजाय "मौलिक कर्तव्यों" पर जोर, और दूसरी ओर एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं– क्या यह संकेत नहीं देती कि यह परियोजना वास्तव में ऐसे लाखों "गैर–नागरिक" श्रमिकों की एक कार्यबल तैयार करने की दिशा में है, जिनके पास अपने ही देश में नागरिक और श्रम अधिकार नहीं होंगे ?

# अमेरिका–इजराईल का हमला और ईरान का प्रतिरोध

*(पृष्ठ 1 का शेष)*

और इजराइल के पक्ष में युद्ध में खुलेआम शामिल होने से परहेज किया है, मुख्य रूप से अपने देशों की जनता के सामने खुद को बेनकाब करने के डर से। वास्तव में, इन देशों की जनता इस युद्ध के खिलाफ है, हालांकि अरब रजवाड़े ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों में मदद कर रहे हैं।

दूसरी ओर, ईरान की जनता अमेरिका–इजराइल के हमले के विरोध में खुलकर सामने आई है। यहां तक कि ईरान में शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली ताकतें भी देश की संप्रभुता पर हमले और साम्राज्यवादी अतिमहाशक्ति द्वारा ईरान के विनाश के खिलाफ खुलकर विरोध कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान की जनता को मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने में मदद करने की बात को उन लोगों द्वारा पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है जो इस औपनिवेशिक उद्यम को सही ढंग से समझते हैं। ये ताकतें सही समझती हैं कि अमेरिका ईरान की जनता को दबाने के लिए एक अधीन शासन थोपना चाहता है। शाह पहलवी का शासनकाल इतिहास में बहुत पीछे नहीं है। सच है कि ईरान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर श्रमिक और बुद्धिजीवी वर्ग, आर्थिक बोझ के साथ–साथ लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन जैसे विभिन्न कारणों से वर्तमान शासकों के खिलाफ हैं परंतु वे अमेरिका–इजराईल द्वारा विनाश के खिलाफ खड़े हैं।

युद्ध में दो हमलावर देशों, अमेरिका और इजराइल के हित आपस में जुड़े हुए हैं। अमेरिका गहरे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, अपनी वैश्विक वर्चस्व को फिर से स्थापित करने के रास्ते में ईरान के संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है। इजराइल मध्य पूर्व में उभरती हुई उस शक्ति को खत्म करने के लिए ईरान की क्षमताओं को कमजोर करना चाहता है, जो अमेरिका–इजराइल के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ऐसा करके वह 'ग्रेटर इजराइल' बनाने की अपनी मुहिम को तेज कर रहा है जिसमें ऐतिहासिक फिलीस्तीन के साथ पड़ोसी अरब देशों के हिस्से भी हैं। मध्य पूर्व में किसी भी शक्ति को उभरने न देना इजराइल की एक लगातार चली आ रही नीति रही है। इजराइल अपने 'ग्रेटर इजराइल' प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत वह नए क्षेत्रों को अपने में मिलाना चाहता है–जैसे कि लितानी नदी के दक्षिण का लेबनान का हिस्सा, गोलान हाइट्स के तथा इससे सटे सीरिया के हिस्से और अरब देशों के अन्य हिस्से।

अपने गैस क्षेत्रों और तेल भंडारण स्थलों पर हमलों के जवाब में, ईरान ने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों के लिए 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को बंद कर दिया है। ईरान ने इसे जबरदस्ती खोलने के प्रयासों को विफल कर दिया है। यह जलडमरूमध्य अभी भी ईरान के नियंत्रण में है। इस जलडमरूमध्य के बंद होने से–जिससे होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होने वाले तेल और गैस का एक–चौथाई से अधिक हिस्सा गुजरता है–वैश्विक स्तर पर बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, हीलियम और सल्फर की कमी हो गई है। इसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों से तेल खरीदने वाले देशों के लिए विकल्प के तौर पर अमेरिका के महंगे तेल और गैस को पेश किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना, अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराना और उनके विमान वाहक पोतों को नुकसान पहुँचाना– ये सभी ट्रंप के उस दावे का करारा जवाब हैं कि अमेरिका ने ईरान की हवाई सुरक्षा और नौसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है, और ईरान की मिसाइलों तथा मिसाइल लॉन्च स्थलों को लगभग खत्म कर दिया है।

अमेरिका–इजराइल के आक्रामण के खिलाफ प्रतिरोध में 'हूती' विद्रोहियों के शामिल होने के साथ ही, 'लाल सागर' के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग खोलने का जो सपना देखा गया था, वह भी एक कड़वी हकीकत बनकर रह गया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के मार्ग को सफलतापूर्वक बंद कर दिया था, और अमेरिकी सेना खोलने में विफल रहीं।

ईरान, हिजबुल्ला और उनके सहयोगियों पर थोपे गए इस आक्रामक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि ईरान सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ डटकर खड़ा होने में सक्षम है, और वह हर वार का जवाब देने में समर्थ है। इसके अलावा, वह ऐसा किसी अन्य साम्राज्यवादी शक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना ही करने में सक्षम है। दूसरा सबक यह है कि, हालाँकि अमेरिका अपने पिछले कई सैन्य अभियानों में पराजित हो चुका है, लेकिन यहाँ अमेरिका जमीन पर अपनी सेना उतारने से भी डर रहा है, उसे हवा में भी मुँह की खानी पड़ी है– एक ऐसा क्षेत्र जिसे वह आसानी से जीत लेने का भ्रम पाले हुए था। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा किया जा रहा प्रतिरोध भी काफी महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने इजराइल द्वारा उसके नेताओं की लक्षित हत्याओं के बाद उसे लगभग खत्म मान लिया था। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजराईल के टैंक उड़ा दिए हैं और उनके सैनिकों को मारा है। लगभग एक महीने चले युद्ध में, खबरों के अनुसार, इजराइल कुछ ही सेक्टरों में केवल 6 किलोमीटर आगे बढ़ पाया है, जहाँ उसे हिजबुल्ला के नेतृत्व वाले प्रतिरोध से कड़ा मुकाबला करना पड रहा है। दूसरी ओर, उत्तरी इजराइल को हिजबुल्ला लगातार निशाना बना रहा है।

ट्रम्प मूल रूप से एक फासीवादी हैं। शांति के बारे में उनके सभी बयान फासीवादी दोहरी चाल है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दूसरे दौर में, उनके प्रशासन ने 'नियो–कॉन' के ''साम्राज्य को सुरक्षित करने...'' के एजेण्डा को 'हेरिटेज फाउंडेशन' के 'प्रोजेक्ट 2025' के साथ जोड़ दिया है–जिसका अर्थ हैः देश के भीतर दमन और विदेशों में आक्रामण। यह फासीवाद के उभार के लिए एक सटीक नुस्खा है, इस बार यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति वाले देश में सिर उठा रहा है।

अमेरिका में 'ईसाई जायोनवादी' 'आर्मागेडन' (महायविनाश) की बात कर रहे हैं। एक अर्थ में यह सच भी हो सकता है–क्योंकि यह दुनिया पर अमेरिकी वर्चस्व, यानी 'एक–ध्रुवीय विश्व' को फिर से स्थापित करने के प्रयास में अंतिम युद्ध साबित हो सकता है।

# एआईकेएमएस की केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक के फैसले

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) की केंद्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक मार्च के अंतिम सप्ताह में खम्मम में आयोजित की गई। एआईकेएमएस का चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन 28 से 30 सितंबर 2026 को खम्मम में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे तीव्र हमलों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनका उद्देश्य किसानों और उनके जीवन–यापन को विदेशी कंपनियों सहित कॉरपोरेट मुनाफे को बढ़ाने के लिए उनका उपांग और संसाधन में बदलना है।

केंद्रीय कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के स्थान पर लाए जा रहे वीबी– जी राम जी एक्ट का कड़ा विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया। पहले के मांग–आधारित कानून, जिसमें ग्राम सभाएं काम तय करती थीं और केंद्र भुगतान सुनिश्चित करता था, के विपरीत इस नई योजना को बिना किसी प्रभावी गारंटी के आपूर्ति–आधारित रोजगार योजना बनाया गया है। यह केंद्रीय स्तर पर कार्यों के आवंटन पर आधारित है, जिसमें जल जीवन योजनाएं और कोल्ड स्टोरेज निर्माण जैसे कॉरपोरेट हितों से जुड़े ग्रामीण कार्य शामिल हैं। इसमें मजदूरी का स्तर पूर्व योजना जैसा ही रखा गया है, जो प्रचलित बाजार दरों के आधे से भी कम है। यह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का दावा करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी गई है। केंद्र का वित्तीय हिस्सा भी 90% से घटाकर 60% कर दिया गया है।

केंद्रीय कार्यकारिणी ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को दिए गए आश्वासन के अनुसार बिजली बिल 2025 को वापस ले। यह बिल सभी क्रॉस–सब्सिडी को समाप्त करता है और गरीब वर्गों को पूर्ण वाणिज्यिक दरों के हवाले कर देता है। साथ ही इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रावधान है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। एआईकेएमएस ने सभी उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और नुकसान की भरपाई अमीरों से करने की मांग की है। बिजली एक आवश्यक जरूरत है और लोगों को कॉरपोरेट मुनाफे के लिए अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता।

बैठक ने नए बीज बिल 2025 का भी विरोध किया। यह बिना परीक्षण के विदेशी बीजों, जिसमें हानिकारक जीएम बीज भी शामिल हैं, के असीमित प्रवेश की अनुमति देता है और काला बाजारी पर लगे प्रतिबंधों को हटाता है। यह बताया गया कि वैश्विक बीज बाजार के 85–90% पर मात्र छह बड़ी कंपनियों का नियंत्रण है। मोदी सरकार द्वारा भारत की बीज संप्रभुता को कमजोर करने के प्रयासों को अत्यंत खतरनाक बताया गया।

केंद्रीय कार्यकारिणी ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार की समझ और उसे किसान हितैषी बताने की कोशिशें स्पष्ट रूप से अमेरिकी हितों के सामने आत्मसमर्पण को दर्शाती हैं। इससे भारतीय कृषि के विकास को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे समय में जब अमेरिका सोयाबीन, मक्का, कपास, इथेनॉल, डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन्स, पोल्ट्री, दूध और दुग्ध उत्पाद, सेब तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए आक्रामक प्रयास कर रहा है, भारत ने आयात शुल्क को औसतन 37% से शून्य तक घटाने और भारतीय निर्यात पर पहले के 2.5% के स्थान पर 18% शुल्क स्वीकार करने पर सहमति जताई है।

सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कर्ज माफी जैसी लंबित मांगों के साथ, केंद्रीय कार्यकारिणी ने इन नीतिगत बदलावों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की अन्य ताकतों के साथ समन्वय में अखिल भारतीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का विश्वास व्यक्त किया। जहां एक ओर भारत सरकार हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट कर्ज माफ कर रही है, वहीं किसानों पर बढ़ती लागत का बोझ डाला जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने चुनावों के दौरान भाजपा नेता मोदी द्वारा किए गए वादों के बावजूद एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के आधार पर खरीद की गारंटी भी नहीं दी है।

केंद्रीय कार्यकारिणी ने बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और कृषि भूमि को गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किए जाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। कोविड काल में स्पष्ट हुआ कि भारत में लोगों के जीवन–यापन के लिए कृषि सबसे बड़ा सहारा है।

बैठक ने ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद और नेतन्याहू के नेतृत्व में जियोनिस्ट इजराइल द्वारा ईरान पर जारी आक्रामक युद्ध की कड़ी निंदा की और इसे तुरंत रोकने की मांग की। इस युद्ध के कारण पहले ही भारत सहित विश्व अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और कीमतों में वृद्धि हो रही है। विश्व शांति बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से इस आक्रामकता की निंदा करते हुए बयान जारी करने की मांग की गई।

बैठक ने खम्मम में भूदान भूमि पर दस वर्षों से अधिक समय से रह रहे लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश भी यह संकेत देते हैं कि सरकार की कार्रवाई अवैध है। राज्य सरकार से मांग की गई कि गरीबों के लिए निर्धारित भूदान भूमि को पात्र लाभार्थियों में आवासीय भूखंड या कृषि भूमि के रूप में वितरित किया जाए।

इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, साथ ही कॉरपोरेट कब्जे से अपनी जमीन और वन संसाधनों की रक्षा कर रहे आदिवासियों और अन्य वनवासियों के संघर्षों को तेज करने के लिए, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए 2006) और पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, तथा आदिवासियों और किसानों पर हो रहे दमन के खिलाफ मजबूत अखिल भारतीय संघर्ष खड़ा करने के उद्देश्य से, केंद्रीय कार्यकारिणी ने 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को खम्मम में आयोजित होने वाले अपने चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारी शुरू करने का निर्णय लिया, जिसका केंद्रीय नारा होगा : "कृषि बचाओ, देश बचाओ।"

**(अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से अध्यक्ष का. वी वेंकटरमैया, महासचिव का. आशीष मित्तल, उपाध्यक्ष का. निर्भय सिंह दुडिके व का. सुशांत झा तथा सचिव का. भालचंद्र षडंगी द्वारा जारी)**

## बरनाला (पंजाब) में एसकेएम की विशाल रैली

पंजाब में बरनाला में 10 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम) द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 20 हजार किसानों ने भाग लिया। ये किसान पंजाब के विभिन्न जिलों से आये थे।

यह रैली किसानों की मांगों पर बुलाई गई थी जिसमें बिजली बिल वापस लेने, बीज बिल वापस लेने तथा किसानों की अन्य मांगें शामिल हैं। रैली को पंजाब एस.के.एम. के घटक किसान संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। संबोधन करने वालों में कीरति किसान यूनियन (ए.आई.के.एम.एस.) के नेता शामिल थे। वक्ताओं ने किसान आंदोलन तेज करने का निश्चय व्यक्त किया।

## सासाराम : आदिवासियों व अन्य वनवासियों द्वारा प्रदर्शन

कैमूर के पठारीय वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों एवं अन्य वन निवासियों के परंपरागत एवं नैसर्गिक जीवन में आरएसएस बीजेपी सरकार तथा उसके वन विभाग के बढ़ते हस्तक्षेप एवं कुल 58 आदिवासी बहुल गांवों को उजाड़ कर बाघ अभ्यारण बनाने के विरुद्ध कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चा एवं ऑल इंडिया ट्राइबल फोरम ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 31 मार्च 2026 को जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के सासाराम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों ने अच्छी संख्या में हाथों में बैनर झंडा तख्ती कुल्हाड़ी एवं तीर धनुष लिए दिन के 12:00 बजे रेलवे मैदान सासाराम से एक प्रदर्शन निकाला जो पुरानी जीटी रोड होते हुए जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के सामने जाकर सभा में तब्दील हो गया जिसकी अध्यक्षता एवं संचालन मोर्चा के अध्यक्ष धनंजय उरांव ने किया।

इस मौके पर आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक कर्मियों ने अपने पारंपरिक लोक नृत्य कियक और लोकगीत गाए। "जल जंगल जमीन पर अधिकार हमारा है, कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चा ने ललकारा है" नारे गूंज उठे।

सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष धनंजय उरांव ने कहा कि ब्रिटिश शासन काल में वन संपदा के लूट के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वन विभाग आज भी आदिवासियों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करता है हम अपने ही जंगल में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमूर वन क्षेत्र में कभी बाघों का नामोनिशान नहीं था फिर भी 58 गांव को उजाड़ कर सरकार बाघ अभ्यारण बना रही है। इसके विरोध में आज हम डीएफओ साहब के कार्यालय पर आए हैं।

इस मौके पर सभा को संबंधित करने वाले मुख्य वक्ताओं में मोर्चा के पूर्व संयोजक सुरेंद्र सिंह, सूरज उरांव, सुनील चेरो, पलटन चेरो, अनीता चेरो, कौशल्या चेरो, संजीव खरवार, बीरेंद्र उरांव, कमलेश उरांव डोमा खरवार, आर्लेस चेरो, कामेश्वर उरांव, शिवराज उरांव, मोती उरांव, चंपा चेरो आदि थे।

मांगो का ज्ञापन सौंपा गया जिसमें कैमूर बाग अभ्यारण परियोजना रद्द करने, कैमूर वन क्षेत्र को संविधान की पांचवी अनुसूची में शामिल करने, वन अधिकार कानून 2006 को मूल रूप से लागू करने तथा वन क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांगें शामिल थीं।

सीपीआई (एम–एल) एनडी की केरल राज्य सांगठनिक कमेटी का बयान

## विधानसभा चुनावों को साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का मंच बनाओ!
## युद्ध के खिलाफ उत्पीड़ित जनता का संयुक्त मोर्चा बनाओ!
## फासीवाद विरोधी संघर्ष में भाग लो!
## साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ो!

इस महत्वपूर्ण समय में, जब हमारा देश और पूरी दुनिया एक गहरे संकट से गुजर रहे हैं, केरल की जनता एक महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव के करीब पहुंच रही है। साम्राज्यवाद ने अपने सभी मुखौटे उतार फेंके हैं और पूरी दुनिया में उत्पीड़ित जनता पर अपने क्रूर हमले जारी रखे हुए है।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, अलग–अलग रूपों और नामों में, साम्राज्यवाद युद्ध छेड़े हुए है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, जिसके परिणामस्वरूप पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के दुष्परिणाम झेल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चार वर्षों से जारी है। पश्चिमी साम्राज्यवाद ताकतों के समर्थन से इजराईल फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार कर रहा है, जिसने वैश्विक समुदाय को झकझोर दिया है।

कुछ ही महीने पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संप्रभु देश वेनेजुएला में घुसपैठ की और उसके भाड़े के सैनिकों ने देश के शीर्ष नेता और उनकी पत्नी का अपहरण कर उन्हें अवैध रूप से हिरासत में ले लिया। ये बर्बर कृत्य, जिनमें न्याय का नामोनिशान तक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के हास्यास्पद नेतृत्व में साम्राज्यवाद द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा, खनिज और प्राकृतिक संपदा सहित वैश्विक संसाधनों पर कब्जा करना है।

इसी बीच, हमारे देश में मोदी सरकार पूरी तरह से साम्राज्यवाद की सेवक की तरह काम कर रही है, जो विरोध का न्यूनतम स्वर उठाने में भी विफल रही है और इसके बजाय समर्पण की मुद्रा में खड़ी है। शासक व्यवस्था की इस अपमानजनक स्थिति और साम्राज्यवादी युद्धों के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए।

1990 के दशक में शुरू हुई वैश्वीकरण की नीतियां अब पांचवीं पीढ़ी के सुधारों के साथ तेज हो रही हैं। नए श्रम संहिता सुधारों का उद्देश्य मजदूरों को उनके अधिकारों से पूरी तरह वंचित करना है।

देश भर में अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर रोजाना हमले हो रहे हैं। वह बड़ा तबका, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाया, अब नए कानूनी बदलावों के माध्यम से नागरिकता से ही वंचित किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) शिक्षा को ध्वस्त कर रही है और इतिहास को विकृत कर रही है। किसान विरोधी कानूनों के माध्यम से किसान समुदाय को बुरी तरह तबाह किया गया है।

भारत अर्ध–सामंती और अर्ध–औपनिवेशिक देश है जहां सामंती शोषण और औपनिवेशिक लूट आज भी हावी है, केवल मजदूरों और किसानों के नेतृत्व में, महिलाओं, युवाओं और छात्रों की भागीदारी के साथ नवजनवादी क्रांति के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

नक्सलबाड़ी की वीरतापूर्ण विरासत को आगे बढ़ाने वाली सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी इसी वैचारिक आधार पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। आगामी केरल राज्य विधानसभा चुनावों में, हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग इसी दृष्टिकोण के अनुरूप करें और पार्टी के रास्ते के साथ एकजुट हों।

**(सीपीआई (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी की केरल राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव द्वारा जारी)**

## सीपीआई (एम-एल) एनडी द्वारा तमिलनाडु में आर.एस.एस. -भाजपा व उसके एनडीए सहयोगियों को हराने का आवाहन

सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी ने 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधान सभा चुनावों में आरएसएस–भाजपा और उसके एनडीए सहयोगियों को हराने का आह्वान किया है। आरएसएस–भाजपा इन विधानसभा चुनावों का इस्तेमाल देश पर फासीवादी तानाशाही थोपने की अपनी कोशिशों को तेज करने के लिए कर रही है। चूंकि तमिलनाडु की जनता आरएसएस–भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति का कड़ा विरोध करती रही है, इसलिए भाजपा ने सत्ता के लिए कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। एनडीए के रूप में सत्ता में आने की उनकी योजना को विफल करना होगा। धर्मनिर्पेक्षता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक अधिकारों और राज्यों के संघीय अधिकारों के लिए आरएसएस–भाजपा से उत्पन्न खतरे को स्पष्ट रूप से समझना और उसका विरोध करना आवश्यक है।

सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी का मानना है कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार जन–विरोधी नीतियां लागू करती रही है और मजदूरों और किसानों के हितों के खिलाफ काम करती रही है। सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी इसका पर्दाफाश करेगी तथा जनता के विभिन्न तबको के आंदोलनों पर दमन का विरोध करेगी।

सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी का मानना है कि आरएसएस–भाजपा के फासीवाद की ओर बढ़ते कदमों को रोकने में जनता के जुझारू जन संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए, हमें चुनाव के समय का उपयोग लोगों के मुद्दों पर प्रचार करने और भविष्य में संघर्षों को संगठित करने के लिए करना चाहिए।

सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी मजदूरों तथा किसानों की मांगों पर, 4 लेबर कोड तथा बिजली बिल रद्द कराने के लिए, सामाजिक न्याय तथा राज्यों के अधिकारों के मुद्दों पर तथा जनवादी अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करेगी।

23 मार्च 2026

# भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर देश भर में कार्यक्रम

23 मार्च को, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन है, अलग–अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमेरिकी साम्राज्यवादियों और इजरायली जायोनिस्टों द्वारा ईरान पर किए गए हमले की निंदा की गई और इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई। अमेरिकी साम्राज्यवाद का पक्ष लेने और जायोनिस्ट शासकों के साथ करीबी रिश्ते बनाने के भारत सरकार के रवैये की निंदा की गई। यह हमला शुरू होने से ठीक दो दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजरायल में थे। वह और उनकी सरकार ईरान के खिलाफ इस नाजायज, अमानवीय और हिंसक हमले की आलोचना करने में विफल रहे हैं। भारत के ईरान के साथ लंबे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, लेकिन भारत सरकार इस हमले पर अमेरिका और इजरायल का पक्ष ले रही है।

खटकड़ कलां (पंजाब) में नौजवान भारत सभा द्वारा आम सभा

सहारनपुर (उ.प्र.) में शहादत दिवस पर कार्यक्रम

सासाराम (बिहार) में नौ.भा.सभा द्वारा प्रदर्शन

इन कार्यक्रमों में वक्ताओं ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने आर.एस.एस.–भाजपा सरकार के समर्पण की आलोचना की। व्यापार और प्रतिबंधों, विदेश और घरेलू नीतियों के मामलों में, भारत सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेक रही है। यह शर्मनाक समर्पण किसानों और मजदूरों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। इन कार्यक्रमों में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष छेड़ने और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आह्वान किया गया।

इफ्टू की राष्ट्रीय समिति ने भी 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग करते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था।

## दिल्ली 8 मार्च : महिला संगठनों द्वारा संयुक्त कार्यक्रम

**अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला संगठनों द्वारा संयुक्त कार्यक्रम किया गया। प्रगतिशील महिला संगठन (प्र.म.स.), एडवा, एन.एफ.आई.डब्ल्यू., एआईएमएसएस, सी.एस.डब्ल्यू. पुरोगामी महिला समिति तथा जिम्मेदारी सोशल वेलफेयर समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओ ने पितृसत्ता मुर्दाबाद, महिलाओं को काम के समान अवसर दो, 4 लेबर कोड रद्द करो, ईरान पर हमला बंद करो, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद आदि नारे लगाये। प्रमस की महासचिव पूनम तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी।**

# आर.एस.एस.–भाजपा सरकार के नक्सलवाद को खत्म करने के दमन अभियान के विरुद्ध प्रदर्शन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बार–बार यह घोषणा की है कि भारत को 31 मार्च, 2026 तक ''नक्सल–मुक्त'' बना दिया जाएगा। इस घोषणा के जवाब में सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी ने फासीवादी आक्रामकता के खिलाफ 1 अप्रैल, 2026 को पश्चिम बंगाल में कोलकाता और सिलीगुड़ी में विरोध मार्च का आह्वान किया, जिसमें गैर–न्यायिक हत्याओं को समाप्त करने, सभी राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई, मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को रद्द करने और अधिकारों को सीमित करने वाले एसआईआर को वापस लेने की मांग की गई।

विभिन्न संगठनों के सदस्यों और विभिन्न लोकतांत्रिक आंदोलनों के कार्यकर्ताओं ने भी इन मार्चों में भाग लिया, जो विरोध की व्यापक एकता और महत्व को उजागर करता है।

'जब तक देश में असमानता, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बनी रहेगी, तब तक नक्सलवाद जन–मुक्ति संघर्ष के साथ खड़ा रहेगा।'

# सासाराम : मनरेगा खत्म करने के खिलाफ तथा भूदान भूमि के वितरण के लिए प्रदर्शन

ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 35 से 40% भूमिहीन लोगों की जमीन और रोजगार की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के पहले चरण में 30 मार्च 2026 को समर्थ रोहतास के समक्ष ''जन चेतावनी प्रदर्शन'' का आयोजन किया गया है । इसमें सासाराम मैदानी इलाके के विभिन्न अंचलों के भूमिहीन गरीब शामिल हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडा बैनर लिए हुए रेलवे मैदान सासाराम से जुलूस की शक्ल में पुरानी जीटी रोड होते समाहरणालय के मुख्य द्वार पर आए और वहां अपनी मांगों के पक्ष में नारे लगाते हुए डट गए। समाहर्ता गेट पर ही सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता व संचालन जिला अध्यक्ष राजेश पासवान ने किया ।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश पासवान ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों के हित में लंबे संघर्ष के बाद बनाए गए भूमि सुधार कानूनों एवं रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को खत्म कर दिया है। ए.आई.के.एम.एस. की क्षेत्रीय कमेटी के संयोजक संयोजक सुखारी राम ने डबल इंजन सरकार पर जनता के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

संगठन के जिला सचिव अयोध्या राम ने कहा कि जिले में कुल भूदान की 43956 एकड़ 48.4 डिसमिल भूमि है। हम आज समाहर्ता रोहतास से यह पूछने के लिए आए हैं कि कितनी और कहां भूदान की भूमि को जिला प्रशासन ने भूमिहीनों के बीच वितरित की है। सभा को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में काशीनाथ प्रेमी, अक्षयबर शाह, चंदा देवी, जनवादी ऑटो चालक मजदूर संघ के महासचिव दिनेश कुमार सिंह, नौजवान भारत सभा के संजय क्रांति, अमित सम्राट एवं रोहित पासवान आदि थे।

जले की ज्वलंत भूमि समस्याओं से संबंधित 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी समाहर्ता रोहतास को सौंपा गया।

# 1 अप्रैल, 2026 : चार लेबर कोडों को रद्द करवाने के लिये देशव्यापी विरोध दिवस

## पृष्ठभूमि और आह्वान

इफ्टू (इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस) की राष्ट्रीय कमेटी ने 1 अप्रैल, 2026 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया था। केंद्र सरकार द्वारा इसी तारीख से मजदूर–विरोधी चार लेबर कोड लागू करने की घोषणा के विरोध में यह कदम उठाया गया। इफ्टू ने मजदूर वर्ग से आग्रह किया कि वे इन चारों संहिताओं को रद्द करवाने की मांग को लेकर देश भर में विरोध और आंदोलन आयोजित करें तथा संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लें।

इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को पत्र लिखकर उनसे भी 1 अप्रैल को लेबर कोडों के खिलाफ एक संयुक्त देशव्यापी आह्वान जारी करने का अनुरोध किया। इफ्टू ने अन्य यूनियनों के समन्वय से सभी राज्यों में संयुक्त विरोध कार्यक्रम करने का भी निर्णय लिया।

इन संहिताओं के खिलाफ पांच वर्षों तक अनगिनत विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों और हड़तालों के बावजूद केंद्र सरकार ने न तो इन्हें रद्द किया और न ही ट्रेड यूनियनों के साथ कोई चर्चा की। 12 फरवरी, 2026 को मजदूर वर्ग ने एक विशाल देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था, परंतु सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इफ्टू का आरोप है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट हितों के लिए करोड़ों मजदूरों के अधिकारों को गिरवी रखने पर आमादा है, जो प्रभावी रूप से मजदूर वर्ग के गले में फांसी का फंदा डालने जैसा है।

## राज्यों से रिपोर्ट

*आंध्र प्रदेश* में विजयवाड़ा में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के तत्वावधान में काला दिवस मनाते हुए एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें नए लेबर कोडों को रद्द करने और पहले के 29 श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग की गई। इस अवसर पर सीटू, एटक, इफ्टू और ए.आई.यू.टी.यू.सी. जैसी विभिन्न यूनियनों के राज्य–स्तरीय नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इफ्टू ने आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में 32 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और कुछ स्थानों पर स्वतंत्र रूप से कार्यक्रमों का आयोजन भी किया।

*तेलंगाना* में GLBKS (इफ्टू) के तत्वावधान में खदान श्रमिकों ने काले बैज लगाकर राष्ट्रव्यापी काला दिवस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और बाद में वन इनक्लाइन, 2, 2। और 11। खदानों के प्रबंधकों को ज्ञापन सौंपे। इस कार्यक्रम में गोदावरी कोयला खदान श्रमिक संघ (इफ्टू) के नेताओं ने भाग लिया।

सिंगरेनी RG.1 क्षेत्र के विभिन्न ठेका विभागों के श्रमिकों ने सिंगरेनी कोलियरीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में काले बैज पहनकर विरोध प्रदर्शन किया।

गोदावरीखानी में केंद्रीय और राज्य–स्तरीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर गांधी चौक जंक्शन पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने श्रमिक वर्ग से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर तब तक संघर्ष जारी रखें, जब तक चारों लेबर कोड रद्द नहीं किये जाते। इस कार्यक्रम में जिला ट्रेड यूनियन के अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

*बिहार* में एनटीपीसी कहलगांव में स्थाई मजदूरों ने मोदी सरकार द्वारा चार श्रम कोड लागू किए जाने के विरोध में काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

*दिल्ली* में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह से ही विरोध कार्यक्रम शुरू हो गए। मायापुरी इंडस्ट्रियल फेज 1 में सुबह 8:30 बजे एक सभा आयोजित की गई। मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में आने–जाने वाले मजदूरों के बीच काले पट्टे बांधे गए। ओखला फेज 1 में इफ्टू और सीटू ने में सुबह 8:30 बजे विरोध कार्यक्रम आयोजित किया।

साउथ दिल्ली के पुष्पा भवन स्थित लेबर ऑफिस पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर जे.एल.सी. के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों ने भी काला दिवस मनाया। शाम को इफ्टू, मजदूर एकता कमेटी और दिल्ली कामगार यूनियन के साथियों ने काले झंडों और तख्तियों के साथ हरकेश नगर चौक, ओखला औद्योगिक एरिया फेज 2 में विरोध दिवस मनाया और सभा की।

*पश्चिम बंगाल* में सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो इस देशव्यापी आंदोलन की कड़ी का हिस्सा रहा।

इन सभी गतिविधियों ने यह स्पष्ट किया कि चारों लेबर कोडों के खिलाफ मजदूर वर्ग में व्यापक असंतोष है और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।

**If Undelivered, Please Return to**

**Pratirodh Ka Swar**
*Monthly*
Balmukand Khand, Girinagar, New Delhi-110019
**Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy**

R. N. 47287/87
**Book Post**
To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार